

### प्रारूप—3

भाग—2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)  
परियोजना या स्कीम की अवस्थिति अप्रैल-माइट बर्गर टीपे के क्षण आगे नहीं

(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र उत्तराखण्ड

(ii) जिला मुमैत

(iii) जिला वन प्रभाग मुमैत

(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र 6.94 हेक्टर

17. पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः वन पंचापृष्ठ भूमि - 0.745 हेक्टर, निविलूमि - 6.195 हेक्टर

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का व्यौरा: स्कैन है

(i) वन का प्रकार OPEN

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व 0.2

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणामना झाँग है

(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा

19. भूक्षण के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणि

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी: 0.2 किमी

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्वा:

(i) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का व्यौरा: —

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याधि रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के व्यौरे और उपावद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की ओर टीका टिप्पणियों उपावद्ध की जाए)

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याधि रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस किमी के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के व्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका—टिप्पणियों उपावद्ध की जाए)

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याधि रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षण के लिए उपयोगित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक किमी के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के व्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका—टिप्पणियों उपावद्ध की जाए)

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किसम के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके व्यौरे

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपावद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रेमाण—पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका व्यौरा दें)

23. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की सुनितयुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :

(i) क्या भाग— 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

24. किए गए अतिकमण के व्यौरे :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिकमण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ/नहीं)

(ii) यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिकमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिकमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिकमण के व्यौरे और अतिकमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही

(iii) क्या अतिकमण में कार्य अव भी प्रगति में है (हाँ/नहीं)

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के व्यौरे

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः

(ii) अवस्थिति, संवेदक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे व्यौरे हैं।

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन कीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीक्ष्य वन सीमाएं संलग्न हैं।

(iv) शेषित की जाएं वाली प्रजातियों का धन्तवयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण रकीम के छोरे संलग्न हैं (हाँ/नहीं)। हाँ

(v) क्षतिपूरक वनरोपण रकीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : **31.96 लाख**

(vi) क्षय क्षतिपूरक वनरोपण के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के दारे में संबद्ध उपवन संरक्षक रोपण-पत्र संलग्न हैं (हाँ/नहीं)। हाँ

26. वनरपति और जीव जटु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल स्थान: उत्तराखण्ड वन विभाग

27. शोकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनियोग रिकार्ड रिपोर्ट संलग्न हैं (हाँ/नहीं)। हाँ

*उत्तराखण्ड वन विभाग*

*प्रभागीय वन अधिकारी*  
*चम्पावत वन प्रभाग संभावत*